

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/06/2011

तारीख रजु 12.01.2011

उनवान

बिस्मिल्लाह पुत्री चंदन जाति मुसलमान निवासी हिण्डोन सिटी हाल निवासी नांगल लाट तहसील टोडाभीम

-----वादीया

बनाम

गुलशेर पुत्र नन्नू जाति मुसलमान वगै. निवासी हरिजन बगीची के पास जाटव बस्ती हिण्डौन

-----प्रतिवादी(11)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- कन्हैया लाल शर्मा एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से :- हरिवल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी कस्बा हिण्डौन के खसरा नंबर 847, 1355, 1384, 1385, 1396, 1397, 1399 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

वादी द्वारा दिनांक 13.02.2020 को वाद में प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा होने के कारण मुकदमा आगे नहीं चलाने बाबत प्रार्थना पत्र व राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर एवं वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 06/2011 बिस्मिल्लाह बनाम गुलशेर में राजीनामा प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

